

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष

2022-2023

(1) संगठन, कार्य एवं कर्तव्य का विवरण :- राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग का एक अधीनस्थ विभाग है। यह विभाग उन स्थानीय निधियों की आय/व्यय का अंकेक्षण कार्य करता है जो साधारणतयः राज्य की संचित निधि का भाग नहीं है। इस विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश के छः विश्वविद्यालयों, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड, विपणन बोर्ड तथा चार प्रमुख विपणन समितियों के लेखों का अंकेक्षण कार्य पूर्व अंकेक्षण प्रणाली के अन्तर्गत तथा अन्य स्थानीय निधि संस्थाओं का अंकेक्षण कार्य उत्तरांकेक्षण प्रणाली के अन्तर्गत किया जाता है। यह विभाग निम्नलिखित संस्थाओं के अंकेक्षण कार्य के लिए उत्तरदायी है:-

क्रम संख्या	संस्थाओं / निधियों का नाम
1	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला
2	चौ0 सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश
3	डा0 यशवन्त सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन
4	सरदार वल्लभभाई पटेल कलस्टर विश्वविद्यालय, मंडी
5	अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, नेर चॉक, मंडी
6	हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर
7	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड
8	हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड
9	विपणन समितियां
10	राजकीय शिक्षण संस्थान (विद्यार्थी निधि)
11	हिमाचल प्रदेश हिन्दू लोक धार्मिक संस्थान व धर्मार्थ अक्षय निधि
12	हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण
13	नगर निगम
14	नगर परिषदें/नगर पंचायतें
15	हि0 प्र0 बहुतकनीकी संस्थान एवं औ0 प्रशिक्षण संस्थान (विद्यार्थी निधि)
16	हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड
17	हिमाचल प्रदेश विधिक सेवाएं प्राधिकरण
18	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड
19	मत्स्य एवं कृषक विकास एजेंसी
20	हि0प्र0 हौम्योपैथी परिषद

21	हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी
22	मुख्यमंत्री राहत कोष/जिला राहत कोष
23	मुख्यमंत्री के सैनिक कल्याण कोष
24	हिमाचल प्रदेश सचिवालय कैंटीन
25	मेला एवं उत्सव
26	हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद
27	आर्युर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड
28	रक्षा सैन्य बल हितकारी निधि झण्डा रोहण दिवस निधि
29	राज्य सैनिक बोर्ड विशेष निधि आर.आर. सैनिक विश्राम निधि
30	जिला खेल ,संस्कृति शिक्षा पुस्तकालय और अन्य विकास निधि
31	ई-गर्वनेन्स
32	इन्दिरा गांधी खेल परिसर, शिमला
33	पर्वतारोहण एवं सहायक खेल संस्थान मनाली
34	हिम कॉपस (HIMCOPS) शिमला
35	ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां व जिला परिषदें
36	हि0प्र0 सरकार द्वारा सौंपा गया विशेष अंकेक्षण

नोट:- हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त संस्थाओं का अंकेक्षण कार्य सम्बन्धित संस्था के अधिनियम/नियमों इत्यादि के अधीन किया जाता है जिसका विवरण परिशिष्ट- (अ) में दिया गया है।

(2). अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य :- यह विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त)/प्रधान सचिव (वित्त)/सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के पूर्ण प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्य करता है।

निदेशक, राज्य लेखा परीक्षा विभाग :- विशेष सचिव (वित्त), राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 के निदेशक एवं परीक्षक का कार्यभार संभालते हैं। वह विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं।

राज्य लेखा परीक्षा विभाग के मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी :-

अतिरिक्त निदेशक :- वह विभाग के कार्यालय का मुखिया होने के साथ-साथ विभाग में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के नियन्त्रण अधिकारी भी हैं।

संयुक्त निदेशक (स्थानीय निकाय):- वह तकनीकी शाखा, स्थानीय निकायों एवं अनुपालना प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं तथा शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं का समस्त अंकेक्षण इनके पर्यवेक्षण में निष्पादित किया जाता है।

उप निदेशक— I :- वह हिमुडा के अंकेक्षण तथा शहरी निकायों, हिमुडा, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक तथा अन्य विविध संस्थाओं इत्यादि के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की विधीक्षा तथा उच्च प्राधिकारी द्वारा आबंटित अन्य कार्य के लिए उत्तरदायी ह।

उप निदेशक— II :- वह हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, विपणन बोर्ड शिमला, सभी विपणन समितियों, मन्दिर न्यासों, ई-गर्वनेन्स, तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, शैक्षणिक तथा अन्य विविध संस्थाओं इत्यादि के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की विधीक्षा तथा उच्च प्राधिकारी द्वारा आबंटित अन्य कार्य के लिए उत्तरदायी है।

सहायक निदेशक (मुख्यालय) :- वह विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारी हैं एवं संस्थापना व लेखा शाखा के प्रभारी ह। वह पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य विविध संस्थाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की विधीक्षा तथा उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर आबंटित अन्य कार्य के लिए भी उत्तरदायी है।

सहायक निदेशक (स्थानीय निकाय) :- वे पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की विधीक्षा के लिए उत्तरदायी ह। वे पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण कार्य एवं अनुपालना प्रकोष्ठ से संबन्धित कार्य के लिए भी उत्तरदायी ह।

अनुभाग अधिकारी (स्थापना) :- वह मुख्यालय में संस्थापना तथा लेखा अनुभाग का कार्यभार देखते ह।

अनुभाग अधिकारी (तकनीकी शाखा) :- वह मुख्यालय में तकनीकी अनुभाग का कार्यभार देखते ह।

कनिष्ठ लेखा परीक्षक :- वे मुख्य कार्यालय में लेखा, स्थापना एवं तकनीकी अनुभाग में सम्बन्धित सहायक का कार्य करते ह।

लिपिक :- वे प्रारूपों को टंकित करने तथा अंकेक्षण प्रतिवेदनों का मिलान करना व प्राप्ति एवं प्रेषण कार्य करते ह।

निवासी अंकेक्षण योजनाओं के कार्यरत अधिकारी :- संयुक्त नियन्त्रक/उप नियन्त्रक/सहायक नियन्त्रक और अनुभाग अधिकारी विश्वविद्यालयों, स्कूल शिक्षा बोर्ड/विपणन बोर्ड, विपणन समितियों में निवासी अंकेक्षण योजनाओं के प्रभारी अधिकारी होते हैं। ये अधिकारी पूर्व अंकेक्षण प्रणाली के अन्तर्गत कार्य करते हैं तथा वहां कार्यरत अपने अधीनस्थ स्टाफ के कार्य का पर्यवेक्षण करते ह।

निवासी अंकेक्षण योजनाओं में कार्यरत कनिष्ठ लेखा परीक्षक :- निवासी अंकेक्षण योजनाओं में कार्यरत कनिष्ठ लेखा परीक्षक निवासी अंकेक्षण योजनाओं में पूर्वांकेक्षण एवं उत्तरांकेक्षण कार्य करते ह।

वृत्तों में कार्यरत अधिकारी एवं कनिष्ठ लेखा परीक्षक :- राज्य लेखा परीक्षा विभाग के अंकेक्षण क्षेत्राधिकार में आने वाली संस्थाओं के उत्तरांकेक्षण कार्य को अंकेक्षण वृत्तों में कार्यरत सहायक नियन्त्रक/अनुभाग अधिकारी/कनिष्ठ लेखा परीक्षक करते हैं। अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक द्वारा समय समय पर इन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्य का निरीक्षण किया जाता है।

(3) निर्णय प्रक्रिया, पर्यवेक्षण तथा उत्तरदायित्व :-

विभाग के मुख्यालय में प्राप्त समस्त पत्राचार को सम्बन्धित सहायक (कनिष्ठ लेखा परीक्षक)/लिपिक, अनुभाग अधिकारी या सहायक निदेशक या उप निदेशक जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष सम्बन्धित नस्ति में प्रस्तुत करते

हैं और मामलों का निपटारा संयुक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक, निदेशक या सचिव (वित्त)/प्रधान सचिव (वित्त)/अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), हि0प्र0 सरकार, जैसी भी स्थिति हो, के स्तर पर किया जाता है। निवासी अंकेक्षण योजनाओं में कनिष्ठ लेखा परीक्षकों द्वारा पूर्वांकेक्षण एवं उत्तरांकेक्षण से सम्बन्धित मामलों में प्रारम्भिक कार्यवाही करके मामलों को अनुभाग अधिकारी/सहायक नियन्त्रक, उप नियन्त्रक/संयुक्त नियन्त्रक, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष जांच एवं निपटारे हेतु प्रस्तुत किया जाता है। अंकेक्षण वृत्तों में तैनात अंकेक्षण दलों के प्रभारियों को मामला की प्रकृति के अनुसार अंकेक्षण कार्यों के निष्पादन हेतु मौके पर ही निर्णय लेना होता है। यद्यपि निवासी अंकेक्षण योजनाओं में कार्यरत स्टाफ एवं वृत्तों में तैनात अंकेक्षण दल पूर्ण रूप से विभाग के मुख्य कार्यालय के नियन्त्रण एवं निरीक्षण में कार्य करते हैं।

(4) कार्य का निपटारा करने हेतु तय किए गए मानक :- अंकेक्षण स्टाफ को पूर्वांकेक्षण एवं उत्तरांकेक्षण कार्य निपटाने के लिए विभाग द्वारा तय मानक जारी किए गये हैं। विभाग द्वारा निम्नलिखित तय मानक निर्धारित किए गए हैं:-

1. अंकेक्षण कार्य करने हेतु समय आबंटन
2. अंकेक्षण शुल्क की दरें
3. विभिन्न संस्थाओं के पूर्वांकेक्षण एवं उत्तरांकेक्षण के लिए जांच की प्रमात्रा।
4. अंकेक्षण में विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों के लिए मापदण्ड।
5. विभाग अपने अंकेक्षण क्षेत्राधिकार की संस्थाओं के पूर्वांकेक्षण एवं उत्तरांकेक्षण का कार्य उनके अधिनियम/नियम पुस्तक/विधेयक/परिनियमों/सम्बन्धित संस्थाओं के नियमों एवं सरकार/संस्थाओं द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अन्तर्गत करता है।

(5) विभाग के नियन्त्रण में नियम, विनियम, दिशानिर्देश नियम पुस्तकें और अभिलेख :- विभाग अपने दैनिक कार्य को निपटाने के लिए सरकारों नियमों, दिशानिर्देशों, विभाग के ऑडिट कोड एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करता है।

(6) विभाग के दस्तावेजों का वर्गीकरण :-

- (1) कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धित अभिलेख।
- (2) विभिन्न संस्थाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदन जिनका अंकेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है।
- (3) हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन।
- (4) विभाग के अंकेक्षण क्षेत्राधिकार के अधीन विभिन्न संस्थाओं से देय अंकेक्षण शुल्क की मांग एवं वसूली का अभिलेख।
- (5) विभाग के अन्य प्रशासनिक एवं लेखांकन अभिलेख।

(7) किसी व्यवस्था का विवरण जो परामर्श अथवा जनता के सदस्यों के आवेदन नीति अथवा उसके प्रशासन की रचना के विद्यमान हो:- विभाग अपने क्षेत्राधिकार के अधीन व सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए विशेष अंकेक्षण कार्य के लिए उत्तरदायी है तथा जनता के साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं रखता है।

(8) बोर्ड, परिषद समितियां एवं अन्य निकायों जिनका गठन दो अथवा अधिक व्यक्तियों द्वारा परामर्श एवं उन बोर्ड, परिषद, समितियों तथा अन्य निकायों जो सार्वजनिक हो या जिनकी बैठकों की कार्यवाही जन साधारण के लिए हो, का विवरण :- अभी तक इस विभाग में कोई बोर्ड, काउंसिल समिति या दो से अधिक लोगों द्वारा संस्था नहीं बनाई गई है।

(9) अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका:- राज्य लेखा परीक्षा विभाग की निर्देशिका परिशिष्ट-ब में संलग्न है।

(10). विभाग के प्रत्येक अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक मानदेय:- हि0प्र0 सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान ही इस विभाग द्वारा लागू किए गए है। वेतनमान से ज्यादा या अलग कोई भी मानदेय लागू नहीं किया गया है तथापि विभाग में विभिन्न पदों के लैवल से सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट-स में दिया गया है। विभाग में लगाए गए आर्टिकल सहायकों को वृत्तों में अंकेक्षण कार्य करने हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार ₹ 800/- प्रति कार्य दिवस की दर से मानदेय दिया जाता है।

(11) विभाग की विभिन्न एजेन्सी को आबंटित बजट में इसकी सभी योजनाओं अनुमानित व्यय और उसके संवितरण का प्रतिवेदन:- विभाग को अपनी स्थापना व सम्बन्धित व्यय करने के लिए बजट आबंटित किया जाता है। विभाग के नियन्त्रण/अधीन कोई भी एजेन्सी कार्यशाल नहीं है जिसे विभाग या सरकार द्वारा बजट का आबंटन किया जाता है।

(12) पावती में छूट, अनुज्ञप्ति या प्राधिकरण प्रदान करने का विवरण:- इस विभाग द्वारा कोई भी छूट, अनुज्ञप्ति या प्राधिकार प्रदान नहीं किया जाता है।

(13) अनुदान कार्यक्रमों जिसमें लाभार्थियों को अनुदान आबंटित किए गए के निर्धारित तरीके से निष्पादन:- अभी तक इस विभाग में कोई अनुदान कार्यक्रम प्रचलित नहीं है।

(14) सूचना जिसका विस्तृत विवरण मौजूद है या रखा गया है, को इलैक्ट्रॉनिक फार्म में तबदील करके कम करना :- वर्तमान में विभाग में हस्तलिखित व टंकण पद्धति द्वारा अभिलेख रखा जाता है तथा धीरे-2 अभिलेख को इलैक्ट्रॉनिक फार्म में तबदील करने हेतु सुविधाएं जुटाई जा रही हैं।

(15) सूचना प्राप्त करने से सम्बन्धित जनता के लिए सुविधा पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष सहित यदि जनता के उपयोग के लिए बनाई गई हो:- सभी नागरिक विभाग से सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तथापि इस विभाग में जनता की सुविधा के लिए कोई पुस्तकालय व अध्ययन कक्ष नहीं है।

(16) राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 में अपील प्राधिकारी और जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम व अन्य विवरण:-
मुख्यालय कार्यालय :-

क0सं0	अपील प्राधिकारी/जन सूचना अधिकारी (पी. आई.ओ.)	कार्यालय का पूरा पता	कार्यालय दूरभाष सं0
-------	--	----------------------	---------------------

1	श्री अमरजीत सिंह, निदेशक, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, अपील प्राधिकारी	राज्य लेखा परीक्षा विभाग	0177-2621894
2	श्री जितेन्द्र सिंह, अतिरिक्त निदेशक जन सूचना अधिकारी	-यथोपरि	0177-2620046

राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 की निवासी अंकेक्षण योजनाओं में जन सूचना अधिकारी

क्र०सं०	निवासी अंकेक्षण योजना का नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष सं०
1	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 विश्वविद्यालय, शिमला	उप नियन्त्रक (ले0प0)	0177-2830892
2	निवासी अंकेक्षण योजना, डा0वाई0 एस0परमार औ0 एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन.	उप नियन्त्रक (ले0प0)	01792-252171
3	निवासी अंकेक्षण योजना, चौ0 सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	उप नियन्त्रक (ले0प0)	01894-230354
4	निवासी अंकेक्षण योजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल कलस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी	उप नियन्त्रक (ले0प0)	94186-55816
5	निवासी अंकेक्षण योजना, अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, नेर चॉक, मण्डी	उप नियन्त्रक (ले0प0)	94186-55816
6	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 तकनिकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर	उप नियन्त्रक (ले0प0)	94184-62347
7	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला.	सहायक नियन्त्रक (ले0प0)	01892-229333
8	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 विपणन बोर्ड खलीनी, शिमला-2	उप नियन्त्रक (ले0प0)	0177-2621316
6	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति शिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, शिमला-12.	सहायक नियन्त्रक (ले0प0)	0177-2841167
7	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति सोलन	सहायक नियन्त्रक (ले0प0)	01792-230459
8	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति मण्डी	लेखा परीक्षक	01907-265592
9.	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति कुल्लू	लेखा परीक्षक	01902-222208

महत्वपूर्ण सम्पर्क दूरभाष नं०

क० सं०	अधिकारी का नाम व पदनाम	कार्यालय दूरभाष सं०	आवास दूरभाष सं०
1	श्री अमरजीत सिंह, निदेशक	0177-2621894	—
2	श्री जितेन्द्र सिंह, अतिरिक्त निदेशक	0177-2620046	—

(17) दूसरी अन्य सूचनाएं जैसे कि अधिनियम में अधिसूचित की गई हैं । "शून्य"

विभाग की दूसरी अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं :-

1. अंकेक्षण की स्थिति :

प्रतिवेदन अवधि वर्ष 2022-23 के दौरान विभाग द्वारा कुल 362 संस्थाओं का उत्तरांकेक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त इस विभाग द्वारा 12 निवासी अंकेक्षण योजनाओं का पूर्वांकेक्षण भी किया जा रहा है।

2. कर्मचारी वर्ग की स्थिति :

दिनांक 31-03-2023 को विभाग में सृजित कुल 196 पदों के विरुद्ध 99 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत थे तथा 97 पद रिक्त थे।

3. आर्टिकल सहायकों की एम्पेनलमेंट :

सरकार द्वारा आर्टिकल सहायकों की एम्पेनलमेंट करने की नीति बनाई गई है जिसके लिए वाणिज्य पृष्ठभूमि वाले स्नातक/स्नातकोत्तर उम्मीदवारों की नियत कार्य (assignment) के आधार पर तैनाती की गई है।

4. आय व्यय की स्थिति :

(क.) प्रतिवेदन अवधि वर्ष 2022-23 में विभाग की आय-व्यय की स्थिति इस प्रकार थी :-

वर्ष	विभाग को वर्ष के प्रारम्भ में आबटित बजट	वास्तविक व्यय राशि	अंकेक्षण शुल्क स्वरूप अर्जित राजस्व प्राप्ति	व्यय के विरुद्ध अर्जित आय का प्रतिशत
2022-23	₹ 10,55,02,000	₹ 9,65,43,740	₹ 2,20,08,545	22.79

(ख.) प्रतिवेदन अवधि वर्ष 2022-23 में विभाग को पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों हेतु आबटित बजट एवं वास्तविक व्यय की स्थिति इस प्रकार थी :-

वर्ष	आबटित बजट	अतिरिक्तता	कुल आबटित बजट	वास्तविक व्यय
2022-23	₹ 1,74,000	₹ 18,50,000	₹ 20,24,000	₹ 20,23,253

5. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार

1. शहरी स्थानीय निकाय (ULBs)

1. सहायता अनुदान का उपयोग न करना : 05 नगर निगमों (मण्डी, सोलन, शिमला, पालमपुर व धर्मशाला) तथा 18 नगर परिषदों (चम्बा, रोहडू, सुन्दरनगर, बददी, पांवटा साहिब, नेरचौक, परवाणू, नगरोटा बगवां, सन्तोषगढ, देहरा, जोगिन्द्रनगर, कांगडा, ज्वालामुखी, कुल्लू, नालागढ, श्री नैना देवीजी, सरकाघाट व घुमारवीं) तथा 11 नगर पंचायतों (टाहलीवाल, राजगढ, तलाई, भोटा, बैजनाथ-पपरोला, बन्जार, नादौन, अर्की, चौपाल, गगरेट व भुन्तर) द्वारा ₹ 26018.80 लाख की राशि सहायता अनुदान के रूप में उपयोग हेतु शेष ।
2. सम्पत्तिकर/गृहकर/चूल्हा कर की वसूली न करना: 05 नगर निगमों (मण्डी, सोलन, शिमला, पालमपुर व धर्मशाला) तथा 18 नगर परिषदों (चम्बा, सुन्दरनगर, बददी, पांवटा साहिब, नेरचौक, परवाणू, नगरोटा बगवां, सन्तोषगढ, देहरा, जोगिन्द्रनगर, कांगडा, ज्वालामुखी, कुल्लू, श्री नैना देवीजी, सरकाघाट व घुमारवीं) तथा 09 नगर पंचायतों (राजगढ, तलाई, भोटा, बन्जार, नादौन, अर्की, चौपाल, गगरेट व भुन्तर) द्वारा ₹ 8189.33 लाख की राशि गृहकर/चूल्हा कर के रूप में वसूली हेतु शेष होना ।
3. दुकानों/स्टालों/प्लाट/रैहन बसेरा तथा सिनेमा घर के किराया/कर की वसूली न करना : 04 नगर निगमों (मण्डी, सोलन, शिमला, व धर्मशाला) तथा 16 नगर परिषदों (चम्बा, रोहडू, सुन्दरनगर, पांवटा साहिब, नेरचौक, परवाणू, नगरोटा बगवां, सन्तोषगढ, देहरा, जोगिन्द्रनगर, कांगडा, ज्वालामुखी, कुल्लू, नालागढ, सरकाघाट व घुमारवीं) तथा 10 नगर पंचायतों (राजगढ, तलाई, भोटा, बैजनाथ-पपरोला, बन्जार, नादौन, अर्की, चौपाल, गगरेट व भुन्तर) द्वारा ₹ 1516.91 लाख की राशि दुकानों/स्टालों/प्लाट/रैहन बसेरा तथा सिनेमा घर के किराया/कर की वसूली हेतु शेष ।
4. स्वीकृत बजट से अधिक व्यय करना: नगर निगम सोलन तथा 04 नगर परिषदों (परवाणू, सन्तोषगढ, देहरा व सरकाघाट) तथा 03 नगर पंचायतों (टाहलीवाल, बैजनाथ-पपरोला व गगरेट) द्वारा संस्थापना पर ₹ 1778.16 लाख की राशि का स्वीकृत बजट से अधिक व्यय करना ।
5. वेतन व भत्तों का अत्यधिक/अनियमित भुगतान: 05 नगर निगमों (मण्डी, सोलन, शिमला, पालमपुर व धर्मशाला) तथा 15 नगर परिषदों (रोहडू, बददी, सुन्दरनगर, पांवटा साहिब, परवाणू, सन्तोषगढ, देहरा, जोगिन्द्रनगर, कांगडा, ज्वालामुखी, कुल्लू, नालागढ, श्री नैना देवीजी, सरकाघाट व घुमारवीं) तथा 08 नगर पंचायतों (टाहलीवाल, राजगढ, तलाई, बैजनाथ-पपरोला, नादौन, अर्की, चौपाल व भुन्तर) द्वारा वेतन व भत्तों पर ₹ 1230.50 लाख का अत्यधिक/अनियमित भुगतान करना ।
6. मोबाईल टावरों की स्थापना व नवीनीकरण फीस की वसूली शेष: 05 नगर निगमों (मण्डी, सोलन, शिमला, पालमपुर व धर्मशाला) तथा 16 नगर परिषदों (चम्बा, रोहडू, पांवटा साहिब, नेरचौक, परवाणू,

- नगरोटा बगवां, सन्तोषगढ, देहरा, जोगिन्द्रनगर, कांगडा, ज्वालामुखी, कुल्लू, नालागढ, श्री नैना देवी जी, सरकाघाट व घुमारवीं) तथा 08 नगर पंचायतों (टाहलीवाल, राजगढ, तलाई, बैजनाथ-पपरोला, बन्जार, नादौन, चौपाल व गगरेट) द्वारा ₹ 220.44 लाख की राशि वसूली हेतु शेष होना।
7. अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना: 08 नगर परिषदों (रोहडू, पांवटा साहिब, परवाणू, नगरोटा बगवां, सन्तोषगढ, कांगडा, ज्वालामुखी, व नालागढ) तथा 08 नगर पंचायतों (टाहलीवाल, राजगढ, तलाई, बन्जार, नादौन, अर्की, चौपाल, व गगरेट) द्वारा ₹ 6308.19 लाख के अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।
8. डोर टू डोर कूडा शुल्क की वसूली न करना : 02 नगर निगमों (मण्डी व पालमपुर) तथा 11 नगर परिषदों (चम्बा, रोहडू, सुन्दरनगर, नगरोटा बगवां, सन्तोषगढ, देहरा, जोगिन्द्रनगर, कांगडा, ज्वालामुखी, कुल्लू व सरकाघाट) तथा 05 नगर पंचायतों (टाहलीवाल, बन्जार, अर्की, गगरेट व भुन्तर) द्वारा ₹ 561.14 लाख के डोर टू डोर कूडा शुल्क की वसूली न करना।
9. संविदाकार को अत्यधिक/अनियमित भुगतान : 03 नगर निगमों (शिमला, पालमपुर व धर्मशाला) तथा 11 नगर परिषदों (चम्बा, रोहडू, बददो, पांवटा साहिब, नेरचौक, परवाणू, नगरोटा बगवां, देहरा, ज्वालामुखी, श्री नैना देवीजी व सरकाघाट) तथा 06 नगर पंचायतों (राजगढ, बैजनाथ-पपरोला, बन्जार, नादौन, चौपाल व गगरेट) द्वारा ₹ 157.03 लाख का संविदाकार को अत्यधिक/अनियमित भुगतान।
10. औपचारिकता पूर्ण किये बिना ठेकेदार को कार्य आबंटन करना: 03 नगर निगमों (मण्डी, शिमला व धर्मशाला) तथा 11 नगर परिषदों (चम्बा, रोहडू, बददी, पांवटा साहिब, नेरचौक, परवाणू, नगरोटा- बगवां, सन्तोषगढ, देहरा, ज्वालामुखी व नालागढ) तथा 06 नगर पंचायतों (राजगढ, तलाई, बैजनाथ-पपरोला, नादौन, चौपाल व गगरेट) द्वारा ₹ 508.80 लाख का औपचारिकताएं पूर्ण किये बिना ठेकेदारों को कार्य आबंटन करना।

2. हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (HIMUDA)

1. 04 हिमुडा निर्माण मण्डलों (शिमला, मण्डी, परवाणू, व धर्मशाला) तथा 02 विद्युत मण्डल (शिमला व धर्मशाला) द्वारा ₹170.56 लाख का स्टाफ को दिए गए विविध अग्रिमों का समायोजन न करना।
2. 05 हिमुडा निर्माण मण्डलों (शिमला, नाहन, मण्डी, परवाणू, व धर्मशाला) तथा विद्युत मण्डल शिमला द्वारा ₹ 35.55 लाख का संविदाकार को अत्यधिक/अनियमित भुगतान करना।
3. 02 हिमुडा निर्माण मण्डलों (परवाणू व नाहन) तथा विद्युत मण्डल शिमला द्वारा ₹ 180.71 लाख का संविदाकार को दिये गये रक्षित अग्रिमों की वसूली न करना।

4. 05 हिमुडा निर्माण मण्डलों (शिमला, नाहन, मण्डी, परवाणू व धर्मशाला) द्वारा ₹ 1061.12 लाख का प्लाट/फलैट धारकों से अनुरक्षण निधि की वसूली न करना।
- 5- 05 हिमुडा निर्माण मण्डलों (शिमला, नाहन, मण्डी, परवाणू व धर्मशाला) द्वारा ₹ 2987.19 लाख के विभिन्न जमा कार्यों पर निधियों का उपयोग न करना।
6. 05 हिमुडा निर्माण मण्डलों (शिमला, नाहन, मण्डी, परवाणू व धर्मशाला) द्वारा ₹ 1.01 लाख के वेतन व भत्तो का अत्यधिक/अनियमित भुगतान।
- 7- 03 हिमुडा निर्माण मण्डलों (शिमला, नाहन, व परवाणू) द्वारा ₹ 1273.41 लाख का औपचारिकताएं पूर्ण किये बिना निर्माण के कार्य आबंटन करना।

3. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला

1. ₹ 3109.95 लाख के अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न करने बारे।
2. सामान्य निधि से सरकार की पूर्व अनुमति के बिना पेन्शन/ग्रेच्युटी निधि से ₹ 1369.63 लाख का भुगतान करने बारे।
3. शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार को उधार बेची गई ₹ 20.17 लाख की पुस्तकों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध न करवाना।
4. मार्च 2020 के दौरान परीक्षा संचालन हेतु जारी अग्रिमों ₹ 7.25 लाख की उगाही न करना।
5. सामान्य भविष्य निधि खाते के अंश धारकों अन्तःशेष को बैंक द्वारा ₹ 335.50 लाख कम दर्शाया जाना।
6. डिपॉजिट वर्क के ₹ 3.68 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना।
7. शैक्षणिक संस्थानों को स्वैच्छिक अनुदान के रूप में ₹ 5.67 लाख के प्रदत्त भुगतान के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना।
8. जीव विज्ञान की प्रैक्टिकल बुक की छपाई हेतु ₹ 1.31 लाख का अनियमित व्यय।

4. हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

1. विभिन्न मण्डी समितियों से मण्डी शुल्क शेयर की ₹ 410.84 लाख वसूली शेष
2. विभिन्न मण्डी समितियों से सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर खर्च की गई ₹ 3061.78 लाख की राशि को विपणन बोर्ड द्वारा कार्य प्रगति पर (work in progress) शीर्ष के अन्तर्गत गलत दर्शाया जाना।
3. विभिन्न मण्डी समितियों के लिए किये गये डिपॉजिट कार्यों के एवज में ₹ 4856.74 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी न करना।

4. विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न मण्डी समितियों के लिए करवाये गये डिपॉजिट कार्यों के अन्तर्गत बोर्ड के खातों में ₹ 1340.18 लाख का भारी अन्तर पाया जाना ।
5. **Income Tax Recoverable Account** की वसूली योग्य ₹ 612.55 लाख का समायोजन न करना ।
6. निर्माण कार्यों के लिए दी गई अग्रिम ₹ 183.91 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना
7. विपणन बोर्ड द्वारा अधिशाषी अभियन्ता को दी गई अग्रिम ₹ 3182.51 लाख का समायोजन शेष पाया जाना ।
8. तुलन पत्र में दशाई गई सावधि जमा योजना में निवेशित ₹174.93 लाख व प्रस्तुत सावधि जमा विवरणी में भारी अन्तर ।

5. हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर

1. ₹311.77 लाख की राशि सहायता अनुदान के रूप में उपयोग हेतु शेष ।
2. विश्वविद्यालय विकास निधी राशि ₹ 21.48 लाख की कम वसूली करना ।
3. अतिथि संकाय पर नियुक्त सहायक प्राध्यापकों को पारिश्रमिक स्वरूप ₹ 2.46 लाख का अधिक भुगतान ।
4. पर्व अंकेक्षण के दौरान विभिन्न बिलों ₹ 2.93 लाख की कटौतियाँ (Retrenchment) करना ।

6. सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मण्डी

1. अंकेक्षण के दौरान विभिन्न बिलों ₹ 0.35 लाख की कटौतियाँ (Retrenchment) करना ।
2. ₹ 53.46 लाख के अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना ।

7. अटल चिकित्सा एवं अनुसन्धान विश्वविद्यालय, नेरचौक, जिला मण्डी

₹ 8.55 लाख के के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना ।

8. कृषि उपज विपणन समितियां

1. पंजीकृत व्यापारियों से दुकानों के किराये की वसूली न करना: 03 विपणन समितियों (सोलन, मण्डी, कुल्लू एव लाहौल-स्पति तथा शिमला एव किन्नौर) द्वारा ₹ 25.41 लाख की पंजीकृत व्यापारियों से दुकाना के किराये की वसूली न करना ।
2. अस्थाई अग्रिमां का समायोजन न करना: 03 विपणन समितियों (सोलन, मण्डी, कुल्लू एव लाहौल-स्पति तथा शिमला एव किन्नौर) द्वारा ₹ 1241.30 लाख के अस्थाई अग्रिमा का समायोजन न करना ।

3. उपयोगिता प्रमाण पत्र आडिट को प्रस्तुत न करना: 03 विपणन समितियों (सोलन, मण्डी, कुल्लू एव लाहौल-स्पिति तथा शिमला एव किन्नौर) द्वारा ₹ 925.64 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र आडिट का प्रस्तुत न करना।
4. दुकानों के किराये की वसूली न करना: 03 विपणन समितियों (सोलन, मण्डी, कुल्लू एव लाहौल-स्पिति तथा शिमला एव किन्नौर) द्वारा ₹ 1261.81 लाख का दुकानों के किराये की वसूली न करना।

9. मन्दिर न्यास

1. औपचारिकता पूर्ण किये बिना ठेकेदार को कार्य आबंटन करना: 05 मन्दिर न्यासों (श्री शिव महाकाल बैजनाथ, श्री हनोगी माता, मण्डी, श्री भागसूनाथ जी धर्मशाला, श्री चिन्तपूर्णी जी ऊना तथा श्री त्रिलाकीनाथ, उदयपुर, लाहौल स्पिति) द्वारा ₹ 29.66 लाख का औपचारिकताएँ पूर्ण किए बिना ठेकेदार को कार्य आबंटन करना।
2. संविदाकार को अत्यधिक/अनियमित भुगतान व अस्थाई अग्रिमां का समायोजन न करना: 02 मन्दिर न्यासों (श्री शिव महाकाल बैजनाथ, व श्री हनोगी माता, मण्डी) द्वारा ₹ 0.58 लाख का संविदाकार को अत्यधिक/अनियमित भुगतान व अस्थाई अग्रिमा का समायोजन न करना।
3. अनुदानों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त तथा आडिट को प्रस्तुत न करना: 02 मन्दिर न्यासों (श्री हनोगी माता, मण्डी, व श्री चिन्तपूर्णी जी ऊना) द्वारा ₹ 331.66 लाख के अनुदानों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त तथा आडिट में प्रस्तुत न करना
4. वेतन व भत्ता का अत्यधिक/अनियमित भुगतान: 04 मन्दिर न्यासों (श्री शिव महाकाल बैजनाथ, श्री हनोगी माता, मण्डी, श्री भागसूनाथ जी धर्मशाला, तथा श्री चिन्तपूर्णी जी, ऊना) द्वारा ₹ 154.70 लाख के वेतन व भत्ता का अत्यधिक/अनियमित भुगतान किया जाना।

10. जिला परिषद व पंचायत समितियां

1. सहायता अनुदान का उपयोग न करना: जिला परिषद चम्बा और 22 पंचायत समितियां (घुमारवीं, झण्डता, सुजानपुर, नादौन, हमीरपुर, नाहन, पच्छाद, मैहला, सलूणी, भटियात, चौन्तडा, बल्ह, गौहर, मण्डी सदर, ऊना, अम्ब, गगरेट, हरोली, बैजनाथ, पंचरूखी, इन्दौरा व देहरा) द्वारा ₹ 4370.69 लाख की राशि सहायता अनुदान के रूप में उपयोग हेतु शेष।
2. दुकानों के किराये की वसूली न करना: 13 पंचायत समितिया (घुमारवीं, झण्डता, हमीरपुर, नाहन, पच्छाद, गौहर, अम्ब, ऊना, बैजनाथ, पंचरूखी, नगराटा बगवां, इन्दौरा व देहरा) द्वारा ₹ 113.36 लाख की दुकानों के किराये की वसूली न करना।

3. अनुदानों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना: जिला परिषद चम्बा 15 पंचायत समितिया (झण्डूता, सुजानपुर, नादौन, हमीरपुर, पच्छाद, मैहला, सलूणी, चौतडा, बल्ह, मण्डी सदर, अम्ब, बैजनाथ, पंचरुखो, इन्दौरा व देहरा) द्वारा ₹ 7174.6 लाख के अनुदानों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना ।
4. सक्षम प्राधिकारियों की स्वीकृति/पूर्व स्वीकृति के बिना व्यय करना: जिला परिषद चम्बा, 10 पंचायत समितिया (नादौन, हमीरपुर, पच्छाद, मैहला, सलूणी, भटियात, ऊना, हरोली, बैजनाथ व देहरा) द्वारा ₹ 125.61 लाख का व्यय सक्षम प्राधिकारियों की स्वीकृति/पूर्व स्वीकृति के बिना करना ।

वैधानिक प्रावधान के अन्तर्गत राज्य लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा संपरीक्षित संस्थाओं का विवरण।

क्रम संख्या	संस्थाओं /निधियों का नाम	पत्र संख्या एवं अधिसूचनाएं
1	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला अधिनियम, 1970 की धारा 29 (1) के अधीन
2	डॉ० सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश कृषि, वानिकी एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 45(3) सह पठित उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए विश्वविद्यालय के विधान (Statutes) के अंकेक्षण सम्बन्धी प्रावधानों के अधीन
3	डॉ० यशवन्त सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन	हिमाचल प्रदेश कृषि, वानिकी एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 45(3) सह पठित उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए विधान (Statutes) की धारा 13.2 के अधीन
4	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1968
5	हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड	हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 48(2) के अधीन
6	विपणन समितियां	हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय अधिनियम, 2005 की धारा 48(2) के प्रावधानों के अधीन।
7	राजकीय शिक्षण संस्थान (विद्यार्थी निधि)	हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता, 2012 के नियम 4.9 (बी) के अधीन
8	हिमाचल प्रदेश हिन्दू लोक धार्मिक संस्थान व धर्मार्थ अक्षय निधि	हिमाचल प्रदेश धार्मिक संस्थान व धर्मार्थ अक्षय निधि अधिनियम 1984 धारा 23(2)सी (ii) अधिसूचना संख्या भाषा-ए(डी)-3/85-2 दिनांक 17-1-1989 एफ/बी(पी-173)
9	हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण	हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम 2004(2004 के अधिनियम संख्या -9) की धारा 28 की उप धारा 3 के अधीन अधिसूचना संख्या एच-एसजी-4(डी)1/92-II दिनांक 13-9-2004 के अधीन
10	नगर निगम शिमला/धर्मशाला	नगर नियम अधिनियम 1994 के संशोधित अधिनियम 2007 की सं० 19 की अधिसूचना संख्या 1-376/81-फिन(एल०ए०)खण्ड-4 दिनांक 16.10.2008 के अधीन

11	नगर परिषद/नगर पंचायतें	नगर नियम अधिनियम, 1994 की उप धारा 1 व धारा 255 की अधिसूचना संख्या 1-376/81-फिन(एल0ए0)खण्ड-4 दिनांक 16.10.2008 के अधीन
12	हि0प्र0 बहुतकनीकी संस्थान व औ0 प्रशिक्षण संस्थान की विद्यार्थी निधियां	अधिसूचना सं0 एसटीवी(आईटी)एफ(5)-5/85 दिनांक 16.10.1986 के नियम 7 के अधीन
13	हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 20 के अधीन
14	हिमाचल प्रदेश विधिक सेवाएं प्राधिकरण	हिमाचल प्रदेश वैधिक सेवाएं प्राधिकरण विनियम, 1996 के विनियम 8(5) के अधीन
15	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड	हिमाचल प्रदेश पर्यटन एवं रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 2002 की धारा 14(2) के अन्तर्गत ।
16	मत्स्य एवं कृषक विकास एजेंसी	जी.आई.ए. नियम 5(3) संख्या फिश-एफ-(5)-1/82-खण्ड-1 दिनांक 29-3-86 द्वारा अधिसूचित
17	हि0प्र0 हाम्योपैथी परिषद	हि0प्र0 हाम्योपैथी प्रैक्टिशनर नियम, 1983 के नियम संख्या 26 के अन्तर्गत
18	हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी	भाषा एवं संस्कृति कार्यक्रम विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या एलसीए (9) -2/84, दिनांक 10-12-1984 के अधीन
19	मुख्यमंत्री राहत कोष/जिला राहत कोष	कोष के निदश संख्या 8 के अधीन
20	मुख्यमंत्री के सैनिक कल्याण कोष	समान्य प्रशासन विभाग-ई अनुभाग हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या -जीएडी-ई(सी)8/99 दिनांक 2-11-99
21	हिमाचल प्रदेश सचिवालय कैन्टीन	पत्र संख्या: पीईआर(एसए-आई)एफ(6)-1/84, दिनांक 18-3-88, 8-5-1998, 16-10-99
22	मेला उत्सव लेखे	संख्या भाषा-सी(13)-2/92-लूज,दिनांक 11-5-99 एफ सी कम सैक्रेटरी एलएसी
23	हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद	हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद जी आई ए नियम अधिसूचना संख्या -ए एच वाई -ए(5)5/86-दिनांक 3-1-94
24	आर्युर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड	पत्र संख्या: एच एवं एफ.डब्ल्यू(सी)(1)-21/76 दिनांक 22-6-1977
25	हि0प्र0 रक्षा सैन्य बल हितकारी निधि, झण्डा रोहण दिवस निधि	निधि के प्रयोग के लिए नियम अधिसूचना संख्या 11-58/66/जीएडी 'ए' दिनांक 19-10-1977 के नियम 9 के अधीन

26	राज्य सैनिक बोर्ड विशेष निधि आर. आर. सैनिक विश्राम निधि	सैन्य सुरक्षा राहत निधि/राष्ट्रीय सुरक्षा राहत कोष के निदेश संख्या 9 के अधीन
27	सभी जिलों में लघुबचत पारितोषिक निधि, जिला खेल, संस्कृति शिक्षा पुस्तकालय और अन्य विकास निधि	पत्र संख्या: फिन सी 15-25/77 (डब्ल्यू एण्ड एम) दिनांक 29-12-1978
28	ई-गर्वनेन्स	परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टीपीटी-एफ(1)2/2000-ई गर्वनेन्स दिनांक 03.09.2005 के अन्तर्गत
29	इन्दिरा गांधी खेल परिसर, शिमला	निदेशक, युवा सेवाएं एवं खेल के पत्र संख्या 4-31/83-वाईएसएस-4388 दिनांक 9.07.2003 के अन्तर्गत
30	पर्वतारोहण एवं सहायक खेल संस्थान मनाली	सामान्य प्रशासन विभाग, हि0प्र0 की अधिसूचना संख्या:जीएडी-3-सी(4)13/76 दिनांक 18.03.1978 के अन्तर्गत
31	हिम कॉपस (HIMCOPS) शिमला	हिमकाप की गवर्निंग बाडी की दिनांक 11.03.2011 की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में निदेशक,पुलिस संचार एवं तकनीकी सेवाएं, हि0प्र0 के पत्र संख्या 4142, दिनांक 25.03.2011 के अन्तर्गत
32	ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां व जिला परिषदें	पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118(4) में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.सी.-(5)सी.(15)एल.ए.डी. /2006-12669, दिनांक 07-04-2016 के अन्तर्गत
33	हि0प्र0 सरकार द्वारा सौंपा गया विशेष अंकेक्षण	...

राज्य लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्बन्धित निर्देशिका

1. मुख्यालय :-

क्रम सं०	नाम, पदनाम तथा पता	कार्यालय दूरभाष संख्या
1	श्री अमरजीत सिंह, निदेशक	0177-2621894
2	श्री जितेन्द्र सिंह, अतिरिक्त निदेशक	0177-2620046
3	श्री अनिल शर्मा, संयुक्त निदेशक	0177-2620881
4	श्री रविन्द्र सिंह, उप निदेशक	0177-2620881
5	श्री अनिल कुमार मैहरा, उप निदेशक	0177-2620881
6	श्री श्रीराम सुनील, सहायक निदेशक	0177-2620881
7.	श्री मनजीत भाटिया, सहायक निदेशक	0177-2620046
8.	श्री कृष्ण लाल नेगी, सहायक निदेशक	0177-2620881

2. निवासी अंकेक्षण योजनाएं :-

क्रम सं०	अधिकारी का नाम व पदनाम	योजना का नाम	दूरभाष सं०
1	श्रीमति निर्मला वर्मा, उप नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, हि०प्र० विश्वविद्यालय, शिमला	0177-2830892
2	श्रीमति विराज, सहायक नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला.	01892-229333 एक्स. 138
3	श्री ललित कुमार अग्रवाल, उप नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, डा० वाई० एस० परमार औ० एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन.	01792-252171
4	श्री संदीप कमल, उप नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, सरदार वल्लभभाई पटेल कलस्टर विश्वविद्यालय, मंडी	94186-55816
5	श्री संदीप कमल, उप नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, नेर चॉक, मंडी	94186-55816
6	श्री दिवान चन्द, उप नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, चौ० सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर	01894-230354
7	श्री पुनिश सागर, उप नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, हिमाचल प्रदेश तकनोकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर	94184-62347
8	श्री सोम राज, सहायक नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, हि०प्र० विपणन बोर्ड खलीनी, शिमला-2	0177-2621316
9	श्रीमति पूजा शर्मा, सहायक नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति शिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, शिमला-12.	0177-2841167
10	श्री राकेश चौहान, सहायक नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति, सोलन	01792-230459
11	श्री सुनिल कुमार, लेखा परीक्षक	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति, मण्डी.	01907-265592
12	श्री सुनिल कुमार, लेखा परीक्षक	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति, कुल्लू	01902-222208

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका

मुख्य कार्यालय शिमला -171009

क सं	पदनाम	पदों की संख्या	पे लेवल
1.	अतिरिक्त निदेशक	1	23
2.	संयुक्त निदेशक/संयुक्त नियंत्रक	5	21
3.	उप निदेशक/उप नियंत्रक	8	17
4.	सहायक निदेशक /सहायक नियंत्रक	21	16
5.	अनुभाग अधिकारी	38	13
6.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	105	11
7.	लिपिक	5	3
8.	कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सू० प्रौ०)	2	4
9.	चालक	2	5
10.	प्रतिलिपि यंत्र चालक	1	2
11.	दफ्तरी	1	1
12.	चपरासी	6	1
13.	सफाई कर्मचारी	1	अशकालीन